

मूल वाद में डिग्री
(व्य प्र.सं.के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय:- उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :- चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 116/2021

1. देवीलाल पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी
बोराखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

---वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री प्यारचन्द्र जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी
बोराखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. निर्मला पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी
तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. गोदावरी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण आयु वयस्क
निवासी बोराखेडी हा0मु0 बिजलवास बामनीया तह0 व जिला नीमच
म0प्र0
4. द्रोपती पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि अभिषेक जाति ब्राह्मण आयु वयस्क
निवासी बोराखेडी हा0मु0 भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
राज0
5. केसर पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि महेश जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी
बोराखेडी हा0मु0 घसुण्डी तह0 व जिला नीमच म0प्र0
6. धापु पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण आयु वयस्क
निवासी बोराखेडी हा0मु0 घसुण्डी तह0 व जिला नीमच म0प्र0
7. श्रीमान उप पंजियक महोदय, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
8. भूमि धारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा, जिला
चित्तौडगढ

---प्रतिवादीगण



- उपस्थित :- 1- जगदीशचन्द्र मेनारिया- अधिवक्ता वादी
2- श्री योगेन्द्र सौलंकी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

::निर्णय::

दिनांक 17.5.22

प्रकरण संख्या 116/2021 वाद

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ)

वादी की और से श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से श्री योगेन्द्र सौलंकी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 17.05.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारा के लिए पेश होन पर आदेश दिया जाता है और डिग्री दी जाती है कि वादी का वाद सशर्त कतई डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मौजा बोरखेडी प0ह0 बडोली^{मुर्तब} तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या संख्या 255 की आराजी नं0 90 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गे0मु0चाह, आराजी नं0 90 रकबा 2.2900, आराजी नं0 161 रकबा 0.2200, आराजी नं0 191 रकबा 0.5300, आराजी नं0 194 रकबा 0.1700, आराजी नं0 206 रकबा 0.4400, आराजी नं0 302 रकबा 0.0400 गे0मु0चाह, आराजी नं0 303 रकबा 0.1800, आराजी नं0 576 रकबा 1.4700, आराजी नं0 641 रकबा 0.5800, आराजी नं0 642 रकबा 0.8600, कुल किता 11 कुल रकबा 6.8100 हे0 में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा विधिवत हक त्याग करने के उपरान्त दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नाम राजस्व रेकार्ड में विलोपित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे व खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

इसी अनुसार अंतिम डिक्री दी जाती है तथा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा खर्चा फरीक्केन अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(हस्ताक्षर)

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

